


अलग रहने के बारे में जानकारी



- अलग रहने वालों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने घरों में ही रहें।
- मेहमानों से मिलना प्रतिबंधित है।
- जो व्यक्ति अलगाव में समय गुज़ार रहे हैं उनको सामूहिक स्थानों पर जाने की सख्ती से मनाही है। (जैसे कि विवाह, शोक सभा और मस्जिद आदि)।
- बार बार अपने हाथों को पानी, साबुन या अल्कोहल युक्त सेनेटाइज़र से साफ करते रहें।
- घर में इस्तेमाल होने वाले सामानों को आपस में प्रयोग न करें जैसे कि, थाली, गिलास, कप, खाने के बर्तन, बिस्तर या घर के अन्य लोगों के सामान भी अपने उपयोग में न लाएं।
- शौचालय की सतह को घर के उपयोग में आने वाले ब्लीच से दैनिक साफ करें।
- प्रयोगशाला प्रमाणित रिपोर्ट या प्रभावित देश से आने के बाद घर में अलग रहने की अवधि 14 दिन है, इसके बाद वह व्यक्ति अपने रोजमर्रा के काम कर सकता है जैसे कि स्कूल कॉलेज जाना आदि।
- अलग रह चुके व्यक्ति में अगर फिर से रोग के लक्षण दिखाई दे तो उसे अगर आसानी से मास्क मिल जाए तो इसकी सूचना मास्क पहनकर नजदीक के चिकित्सा केंद्र पर करनी चाहिए।
- अलग रह चुके व्यक्ति के घर वाले अपने दैनिक कार्यों जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय या काम पर जा सकते हैं।

अलग रहने के कानून का पालन ना करने पर आप के खिलाफ संक्रामक रोग के कानून संख्या 79/93 के तहत कारवाई होगी।